



अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय

(म.प्र. शासन के अधिनियम 2011 द्वारा स्थापित राज्य विश्वविद्यालय)

मुगालिया कोट, (सूखी सेवनिया) विदिशा रोड-भोपाल (म.प्र.)

दूरभाष:0755-2558606, वेबसाइट:www.abvhv.edu.in

प्रारूप

(विद्यार्थी द्वारा जानकारी को स्वयं भरकर उत्तरपुस्तिका के साथ लगाकर विश्वविद्यालय भेजा जाए)

परीक्षा वर्ष -..... माह..... दिनांक / /

क्र.	विवरण	नीले या काले बॉल पेन से विद्यार्थी द्वारा जानकारी भरी जाए
1.	परीक्षा का नाम	
2.	परीक्षार्थी का नाम (हिंदी में)	
3.	परीक्षार्थी का अनुक्रमांक (अंकों में)	
4.	परीक्षार्थी का अनुक्रमांक (शब्दों में)	
5.	परीक्षार्थी का नामांकन क्रमांक	
6.	विषय	
7.	प्रश्न-पत्र का नाम	
8.	विभाग का नाम	
9.	परीक्षा की दिनांक व दिन	
10.	उत्तरपुस्तिका के कुल पृष्ठों की संख्या	

विद्यार्थी का घोषणा-पत्र

मैं.....पिताश्री.....घोषणा करता/करती हूं कि उत्तर पुस्तिका मेरे स्वयं के द्वारा (मेरी राईटिंग में) लिखी गई है। इस संबंध में समस्त जवाबदारी मेरी स्वयं की होगी।

दिनांक : / /

विद्यार्थी का नाम

हस्ताक्षर



पृष्ठ 24 (आवरण सहित)
केवल परीक्षक के उपयोग के लिए

प्रश्न क्र.	अंकों में	प्रदत्त अंक
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
योग		

परीक्षक के हस्ताक्षर

01969

अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय, भोपाल

परीक्षार्थियों के लिए आवश्यक निर्देश

- आपके द्वारा उपयोग में लाई गई समस्त उत्तर पुस्तिकाओं के आवरण पृष्ठ पर सभी आवश्यक विस्तृत जानकारी दी जावे। जैसे:—परीक्षा का नाम, अनुक्रमांक, नामांकन/पंजीयन क्रमांक, विषय प्रश्न पत्र आदि। इसकी पूर्ति परीक्षा के समय में प्रतिदिन की जानी चाहिए। इनकी पूर्ति पूर्ण रूप से न करने पर उत्तर पुस्तिका निरस्त कर दी जावेगी।
- परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर निर्धारित स्थान के अतिरिक्त किसी भी पृष्ठ पर नाम/अनुक्रमांक/हस्ताक्षर अथवा कोई पहचान का चिन्ह अंकित न करें अन्यथा उत्तर पुस्तिका निरस्त की जा सकेगी।
- एक प्रश्न का उत्तर समाप्त होने पर नया प्रश्न अगले पृष्ठ से आरम्भ करें। कच्चा कोई जहां आवश्यक हो, बाएं पृष्ठ पर पेंसिल से किया जावे और बाद में उसे काट दिया जावे।
- उत्तर पुस्तिकाओं के कोई पन्ने न निकाले जावें। यह एक अपराधिक कृत्य है। परीक्षार्थियों को दूसरी उत्तर पुस्तिका तब तक नहीं दी जावेगी जब तक कि पहली उत्तर पुस्तिका पूरी न भरी जावे। प्रत्येक पंक्ति में लिखें एवं दाईं तरफ मार्जिन न छोड़ें।
- परीक्षा भवन में परीक्षार्थी को उसी स्थान पर बैठना चाहिए जहाँ उसे सीट दी गई हो। केन्द्राध्यक्ष की अवज्ञा करने पर उन्हें परीक्षा से निष्कासित किया जाएगा।
- परीक्षार्थी यदि परीक्षा भवन में एक दूसरे से बातचीत करते हुए, उपयोग में लाई उत्तर पुस्तिकाएं, पुस्तकें, टिप्पणियां अथवा किसी भी प्रकार के कागज लिए हुए या नकल करने का प्रयत्न करते हुए या परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए कोई अनुचित साधन अपनाने हुए पाए जावेंगे अथवा किसी पर्यवेक्षक / केन्द्राध्यक्ष या किसी भी अन्य व्यक्ति के साथ अशिष्ट व्यवहार करते हुए पाए जावेंगे उसके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
- उत्तर पुस्तिका में प्रश्नोत्तर स्याही अथवा डाट-पेन (नीली स्याही वाले) से भी लिखे जा सकते हैं।
- परीक्षार्थियों को अपने प्रवेश पत्र पर्यवेक्षक के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।
- परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिकाएं प्रभारी पर्यवेक्षक के पास जमा किए बिना परीक्षा भवन नहीं छोड़ना चाहिए।
- मोबाइल फोन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण परीक्षा कक्ष

परीक्षा का नाम

(परीक्षार्थी स्वयं भरे)

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक (अंकों में)

परीक्षार्थी का अनुक्रमांक (शब्दों में)

परीक्षार्थी का नामांकन / पंजीयन क्रमांक

विषय

प्रश्न-पत्र

यदि वैकल्पिक हो तो

परीक्षा का माध्यम

परीक्षा का दिन एवं दिनांक

पूरक उत्तर-पुस्तिकाएं

निरीक्षक के हस्ताक्षर